न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 04/2009

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. रामचन्द्र पुत्र गणेशराम माली
निवासी-कातयासनी, तहसील-मेडता
जिला-नागौर (राजस्थान)
2. अमलकराम पुत्र रामनाथ माली
निवासी कोसाणा तह0-भोपालगढ
3. कानाराम पुत्र ढगलाराम
4. सुशीलादेवी पत्नि रामप्रकाश
5. रामसुख पुत्र हजारीराम
6. परमाराम पुत्र हजारीराम
7. बाबूराम पुत्र हजारीराम
8. छोटी पत्नि जगदीश
जातियान-माली, निवासी-आ0कालू
तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज0)

बनाम

1. श्यामलाल पुत्र इन्द्रचंद सुथार
2. हीराराम पुत्र माधुराम
जाति-जाट मुण्डेल
3. केसाराम पुत्र मोहनराम
जाति प्रजापत
4. चुतराराम पुत्र सुखा जाट
5. शंकरलाल पुत्र रामलाल जाट,
6. छोलाराम पुत्र मूलाराम जाट
7. चन्द्राराम पुत्र अर्जुनराम जाट
निवासीगण-आ0कालू
तहसील-जैतारण,जिला-पाली (राज0)

राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:. 21/01/2009

उपस्थितः. 1 श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादीगण।
2 श्री सुरेश चौधरी एवं श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्तागण, प्रति0।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः 26/06/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-आ0कालू-चक नम्बर-एक, तहसील-जैतारण में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की शामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 1859/1 रकबा 1 बीघा 09 बीस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1845/4 रकबा 09 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1859 रकबा 1 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 1845/2 रकबा 11 बिस्वा किश्म बारानी अव्वल, कुल किता-4 कुल रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा की आई हुई हैं जिस पर वादीगण का अपने हिस्से माफिक शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा हैं उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी की/नकल व ट्रेस नक्शा की प्रमाणित प्रति दावा के साथ पेश की जा रही हैं। जिसे दावा का एक भाग माना जावें। वादीगण की उक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि के पास से आज से 50 साल पूर्व ग्राम बस्सी से आ0कालू जाने का रास्ता था। लेकिन पिछले 50 वर्षो से उक्त रास्ता मौके पर अब नहीं हैं। क्योकि रास्ता पास ही डामर सडक निकलने से कच्चा रास्ता बंद हो चुका हैं। उक्त रास्ते पर गांव के लोगो ने अतिक्रमण कर कब्जा कर बाडे व मकान बना लिये हैं। अभी डेढ माह पूर्व राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुये जिसको लेकर वादीगण व प्रतिवादीगण के आपस में राजनैतिक द्वेष भावना से आपस में अनबन चल रही हैं। प्रतिवादीगण के पार्टी के उम्मीदवार दिलीप चौधरी के विधानसभा चुनाव जीतने पर अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रतिवादीगण द्वारा अगवाई होकर वादीगण को नुकशान पहुचाने की नियत से वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन में जबरदस्ती नया रास्ता कायम करना चाहते है जबकि वादीगण अपने खातेदारी जमीन पर काबिज है व अपने खातेदारी भूमि में चारो तरफ पक्की चार दीवारी बनाई हुई हैं। जिसको प्रतिवादीगण कानून हाथ में

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

लेकर बिना किसी आदेश के वादीगण को अपने खातेदारी जमीन से बेदखल कर नया रास्ता कायम करने पर आमादा हैं दिनांक 18.1.09 को प्रतिवादीगण आपस में सलाह मशवीरा कर वादीगण की जमीन की दीवार तोडने पर आमादा हुये और मौके पर गये तब वादीगण को मालुम पडने पर सभी वादीगण मौके पर गये व वादीगण व प्रतिवादीगण आमने सामने हो गये और लडाई झगडा करने पर उतारु हो गयें। इतने में वादीगण ने पुलिस थाना आ0 कालू को सूचना दी। मौके पर पुलिस आई तब तक सभी प्रतिवादीगण मौके पर से भाग गये अन्यथा प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी भूमि पर बनी हुई पक्की दीवार तोडकर नया रास्ता कायम कर देते। जबकि उक्त जगह पर कोई रास्ता नहीं था वादीगण की खातेदारी जमीन हैं। प्रतिवादीगण गांव में गिरोह बनाकर जाति विशेष को नुकशान पहुचाने की नियत से खातेदारी जमीन में से लाठी के बल पर राजनैतिक प्रभाव से रास्ता निकालना चाहते है यदि प्रतिवादीगण जबरदस्ती वादी की खातेदारी जमीन में से नया रास्ता निकाल देगें तो वादीगण अपने जायज अधिकारो से वंचित रह जायेगें। व विविध प्रकार के मुकदमें बाजी होगी इसलिए प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरुरी हैं। वादीगण का बिनाय दावा दिनांक 18.01.09 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में बनी हुई पक्की दीवार तोडकर नया रास्ता निकालने की धमकी देने पर बमुकाम आ0कालू में पैदा हुआ जो अदालत बाला के क्षेत्राधिकार में है व वाद अन्दर मयाद पेश हैं। इस प्रकार वकील वादीगण ने वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रतिवादीगण को माफिक वाद-पत्र अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा से रोके जाने की ईश्तदुआ की हैं।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। वकील प्रतिवादीगण जवाब पेश करने का समय चाहते है। बार बार समय दिए जाने पर भी प्रतिवादीगण के वकील ने जवाब दावा पेश नहीं किया हैं। प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया जाता हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण दखलन्दाजी करते हैं, जिन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-आ0कालू-चक नम्बर-एक, तहसील-जैतारण में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की शामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 1859/1 रकबा 1 बीघा 09 बीस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1845/4 रकबा 09 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1859 रकबा 1 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 1845/2 रकबा 11 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, कुल किता-4 कुल रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा में वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा अलग से बनाया जाकर शामिल मिसल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण (पाली)
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 26/06/2015 को राजस्व लोक अदालत आयोजित शिविर -आ0कालू में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण (पाली)
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0** वादी :-

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. रामचन्द्र पुत्र गणेशराम माली निवासी-कातयासनी, तहसील-मेडता जिला-नागौर (राजस्थान)	1. श्यामलाल पुत्र इन्द्रचंद सुथार 2. हीराराम पुत्र माधुराम जाति-जाट मुण्डेल
2. अमलकराम पुत्र रामनाथ माली निवासी कोसाणा तह0-भोपालगढ	3. केसाराम पुत्र मोहनराम जाति प्रजापत
3. कानाराम पुत्र ढगलाराम	4. चुतराराम पुत्र सुखा जाट
4. सुशीलादेवी पत्नि रामप्रकाश	5. शंकरलाल पुत्र रामलाल जाट,
5. रामसुख पुत्र हजारीराम	6. छोलाराम पुत्र मूलाराम जाट
6. परमाराम पुत्र हजारीराम	7. चन्द्राराम पुत्र अर्जुनराम जाट निवासीगण-आ0कालू तहसील-जैतारण,जिला-पाली (राज0)
7. बाबूराम पुत्र हजारीराम	
8. छोटी पत्नि जगदीश जातियान-माली, निवासी-आ0कालू तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज0)	

राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0स0:04/2009

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....-........ व हाजरी श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री सुरेश चौधरी एवं श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्तागण, प्रति0 मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-आ0कालू-चक नम्बर-एक, तहसील-जैतारण में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की शामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 1859/1 रकबा 1 बीघा 09 बीस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1845/4 रकबा 09 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1859 रकबा 1 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 1845/2 रकबा 11 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, कुल किता-4 कुल रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा में वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

नीज ....-....मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 26/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01 – 00	स्टाम्प वकालतनामा	02 – 00
स्टाम्प वकालतनामा	01 – 00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	05 – 00	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	03 – 00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः–	10 – 00	मिजानः–	02 – 00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner